

न्यायालय: श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला - बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-699 / 2003
 संस्थित दिनांक-01.06.1998
 फाईलिंग क.234503000021998

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस चौकी सोनगुड्डा, आरक्षी केन्द्र-रूपझर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

सोहन गोंड पिता मोहपत गोंड, जाति गोंड, उम्र-45 वर्ष,
 निवासी-ग्राम राशिमेटा, पुलिस चौकी सोनगुड्डा, थाना रूपझर,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक-10/08/2016 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा-25 (1)(1-बी) ए के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-20.04.1998 को 5:00 बजे, ग्राम राशिमेटा, अंतर्गत थाना रूपझर में अपने आधिपत्य में म.प्र. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक-6312-6552-II-बी(I) दिनांकित-22.11.1974 के उल्लंघन में भरमार बंदूक बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखा।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि पुलिस चौकी सोनगुड्डा में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक रामशरण तिवारी दिनांक-20.04.1998 को अन्य अपराध की विवेचना में ग्राम राशिमेटा गया था, जहां उसे जानकारी प्राप्त हुई कि आरोपी सोहन अपने कब्जे में एक अवैध भरमार बंदूक रखे हुए है। आरोपी को बुलाकर बंदूक के संबंध में पूछताछ करने पर उसने बताया कि महपाल के खेत के पास के जंगल में कुंदरू के पेड़ के नीचे उसने बंदूक छुपाकर रखी है। जब मौके पर उपस्थित गवाह अंजोर व सखाराम निवासी राशिमेटा के समक्ष आरोपी का मेमोरेण्डम लेख किया। आरोपी द्वारा बताए गए स्थान पर जाकर एक भरमार बंदूक जप्त की गई और जप्तीपत्रक तैयार किया गया एवं आरोपी के पास लायसेंस नहीं होने से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त आधार पर आरोपी के विरुद्ध पुलिस चौकी सोनगुड्डा में अपराध क्रमांक-0/1998, आयुध अधिनियम की धारा-25, 27 कायम कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचना में लिया गया, जिसे असल नंबर पर कायमी हेतु पुलिस थाना रूपझर भेजा गया, जहां आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-89/98, अंतर्गत धारा-25, 27 आयुध अधिनियम पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी से बंदूक जप्त कर जप्तीपत्रक बनाया गया तथा साक्षियों के कथन लेख किये तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा-25 (1)(1-बी) ए का आरोप पत्र विरचित किये जाने पर उसके द्वारा अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। आरोपी के द्वारा धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना कहकर झूठा फंसाया होना बताया गया। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4— **प्रकरण में निराकरण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है:-**

1. क्या आरोपी ने दिनांक-20.04.1998 को 5:00 बजे, ग्राम राशिमेटा, अंतर्गत थाना रूपझर में अपने आधिपत्य में म.प्र. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक-6312-6552-II-बी(I) दिनांकित-22.11.1974 के उल्लंघन में भरमार बंदूक बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखा ?

: : विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष : :

5— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी आर.एस. तिवारी (अ.सा.6) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-20.04.1998 को चौकी सोनगुड्डा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। वह एक अन्य प्रकरण की विवेचना में ग्राम राशिमेटा हमराह बल के साथ गया था। आरोपी सोनगुड्डा के प्रकरण से संबंधित था, इसलिए उससे पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि उसके पास एक बंदूक है जो उसने जंगल में छुपाकर रखी है। आरोपी का मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-1 गवाहों के समक्ष लेख किया गया, जिस पर उसने हस्ताक्षर किये थे। आरोपी के साथ जंगल जाकर कुंदरू के पेड़ के नीचे से एक भरमार बंदूक निकालवाकर जप्त की थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रधान आरक्षक भगनसिंह, साक्षी शिवप्रसाद, अंजोर सिंह और सखाराम के बयान उनके बताए अनुसार लेख किये थे। आरोपी को थाना लाकर प्रदर्श पी-5 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की थी, जिसके अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 बनाया था एवं उस पर हस्ताक्षर किये थे। आरोपी के विरुद्ध असल कायमी थाना रूपझर में की गई थी। असल कायमी प्रदर्श पी-6 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने यह कहा है कि घटना दिनांक को आरोपी के आधिपत्य से आर्टिकल ए-1 की भरमार बंदूक जप्त हुई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपी के पास से बंदुक की जप्ती नहीं हुई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि बंदूक को जप्त करते समय उसे चलाकर नहीं देखा गया था। साक्षी ने कहा है कि बंदूक चालू अवस्था में थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने घटना का मौकानक्शा नहीं बनाया है। साक्षी का कहना है कि धारा-25, 27 आयुध अधिनियम के प्रकरण में मौकानक्शा नहीं बनाया जाता।

6— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी शिवप्रसाद (अ.सा.5) ने कहा है कि दिनांक—20.04.1998 को सोनगुड्डा चौकी में आरक्षक के पद पर पदस्थ था, उसी दिनांक को वह चौकी प्रभारी के साथ ग्राम राशिमेटा विवेचना की कार्यवाही में गया था। आरोपी सोहन के पास अवैध भरमार बंदूक होने की जानकारी मिली थी। विवेचक रामशरण तिवारी द्वारा आरोपी से पूछताछ की गई थी। पूछताछ में आरोपी ने जंगल में बंदूक छुपाकर रखना बताया तो आरोपी के साथ जंगल जाकर भरमार बंदूक निकलवाई थी, तब गवाहों के समक्ष बंदूक की जप्ती की गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी के पास से बंदूक की जप्ती नहीं हुई थी। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि वह पुलिस विभाग में कार्य करता है, इसलिए अपने अधिकारी के कहने से न्यायालय समक्ष झूठे बयान दे रहा है।

7— अभियोजन साक्षी एस.के. नाथ (अ.सा.3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह वर्ष 1996 में जिला दण्डाधिकारी बालाघाट में अनुज्ञा विभाग में पदस्थ था, उसी दौरान श्री राजीव रंजन जिला दण्डाधिकारी के पद पर पदस्थ थे, अभियोजन द्वारा आरोपी सोहन के विरुद्ध आयुध अधिनियम अंतर्गत धारा—25, 27 में स्वीकृति ली गई थी। अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी—3 पर श्री राजीव रंजन जिला दण्डाधिकारी के अ से अ भाग पर हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि वह जिला दण्डाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पहचानता।

8— अभियोजन साक्षी फगनसिंह (अ.सा.4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह चौकी प्रभारी के साथ ग्राम राशिमेटा गया था, जहां मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी सोहन के पास अवैध बंदूक थी। आरोपी सोहन से पूछताछ किये जाने पर उसने बताया कि जंगल में कुंदरू के पेड़ के नीचे बंदूक है, तब आरोपी से बंदूक जप्त की गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपी से बंदूक जप्त नहीं हुई थी और न ही इस संबंध में पूछताछ की थी। उल्लेखनीय है कि साक्षी मुखबिर से सूचना प्राप्त होना बताता है, जबकि विवेचक का कहना है कि आरोपी सोहन से अन्य अपराध के विषय में पूछताछ की जा रही थी, तब आरोपी ने बताया था कि उसके पास अवैध भरमार बंदूक है।

9— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी अंजोरसिंह (अ.सा.2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह घटना के समय राशिमेटा गांव में रहता था। वह आरोपी सोहन को जानता है। उसके सामने आरोपी ने पुलिस को कोई कथन नहीं दिया था। आरोपी के पास बंदूक नहीं थी, बंदूक सड़क पर रखी हुई थी। पुलिस वालों ने यह भी नहीं बताया था कि बंदूक आरोपी की है। मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी—1 व जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—2 पर उसने पुलिस वालों के कहने पर हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने पुनः यह कहा

है कि उसके सामने आरोपी से कोई बंदूक जप्त नहीं की गई थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 एवं मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-1 पर पुलिस के डर से उसने हस्ताक्षर कर दिए थे।

10— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी सखाराम (अ.सा.1) ने कहा है कि वह आरोपी सोहन को जानता है, क्योंकि आरोपी सोहन उसके ही गांव का निवासी है। मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-1 एवं जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं, परंतु आरोपी ने मेमोरेण्डम कथन पुलिस को लेख नहीं कराया था और न ही आरोपी सोहन से पुलिस वालों ने बंदूक जप्त की थी। पुलिस वाले आरोपी सोहन तथा अन्य लोगो को लेकर आए थे और बंदूक मौके पर थी, परंतु बंदूक किसकी थी, इसकी उसे जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर साक्षी ने कहा है कि आरोपी सोहन ने कहा है कि उसने बंदूक छुपाकर रखने वाली बात पुलिस को नहीं लेख कराई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे मेमोरेण्डम कथन व जप्ती की कार्यवाही के बारे में जानकारी नहीं है और पुलिस ने उसके कोई बयान लेख नहीं किये थे।

11— आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा-25, 27 के अंतर्गत अपराध किये जाने का अभियोग है। यह अपराध निषेधित प्रकृति का हथियार बिना अनुज्ञप्ति के अपने पास रखने से होता है। अभियोजन को युक्तियुक्त संदेह से परे आरोपी द्वारा निषेधित प्रकृति का हथियार अपने पास रखा होना प्रमाणित करना होता है, जिसके लिए जप्ती की कार्यवाही बिना किसी संदेह के न्यायालय के समक्ष प्रमाणित होना चाहिए। विवेचक साक्षी रामशरण तिवारी (अ.सा.6) ने आर्टिकल-ए की भरमार बंदूक को घटना दिनांक को आरोपी के आधिपत्य से जप्त किये जाने का कथन किया है और यह कहा है कि उसने आरोपी का मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-1 लेख किया था जिसमें आरोपी ने यह बताया था कि उसने जंगल में कुंदरू के पेड़ के नीचे बंदूक छुपाकर रखी है। यह मेमोरेण्डम कथन की कार्यवाही को स्वतंत्र साक्षी सखाराम (अ.सा.1), अंजोर सिंह (अ.सा.2) ने प्रमाणित नहीं किया है। उन्होंने यह कहा है कि उनके सामने न तो आरोपी का मेमोरेण्डम कथन लेख कराया गया था और न ही आरोपी ने यह बताया था कि उसने जंगल में बंदूक छुपाकर रखी है और न ही उनके समक्ष बंदूक की जप्ती की कार्यवाही की गई थी। प्रकरण में शेष अभियोजन साक्षी जिन्होंने घटना का समर्थन किया और विवेचक द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन किया है वे साक्षी फगनसिंह (अ.सा.4) एवं शिवप्रसाद (अ.सा.5) पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारी होने से हितबद्ध साक्षी है, इसलिए उन पर पूर्ण विश्वास किया जाना उचित नहीं है। जप्तशुदा आर्टिकल ए की भरमार बंदूक मौके पर ही सीलबंद की गई थी इस बात का भी उल्लेख विवेचक ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में नहीं किया है। जप्तशुदा आर्टिकल ए की भरमार बंदूक चालू अवस्था में थी अथवा नहीं, इस बात की साक्ष्य विशेषज्ञ साक्षी आर्मीरर द्वारा ही दी जा सकती है, परंतु अभियोजन द्वारा उपरोक्त के संबंध में किसी साक्षी का न्यायालय के

समक्ष परीक्षण नहीं कराया गया है। स्वतंत्र साक्षियों द्वारा घटना का समर्थन नहीं किये जाने से यह घटना संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाई जाती। अतएव आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाकर आयुध अधिनियम की धारा-25 (1)(1-बी) ए के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त मुक्त किया जाता है।

12— प्रकरण में आरोपी दिनांक-21.04.1998 से दिनांक-28.07.1998 तक, दिनांक-14.02.2002 से दिनांक-17.07.2002 तक, दिनांक-03.11.2008 से दिनांक-26.12.2008 तक, दिनांक-10.11.2014 से दिनांक-05.01.2015 तक, दिनांक-20.06.2016 से दिनांक-10.08.2016 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

13— आरोपी अभिरक्षा से प्रस्तुत किया गया है, उसके जेल वारंट पर टीप अंकित की जावे कि यदि किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे तत्काल रिहा किया जावे।

14— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक नाल भरमार बंदूक जिला दण्डाधिकारी को अपील अवधि पश्चात् विधिवत् निराकरण हेतु भेजी जावे, अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया
गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

बैहर,
दिनांक-10.08.2016

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट